

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घड़साना जिला अनूपगढ़

अनवान

सुरेन्द्र कुमार बनाम श्रीराम आदि

प्रकरण संख्या :- 001/2024

GCMS संख्या :- 2024/2

प्रकरण- अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम

दिनांक	आदेश का विवरण मय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
08.01.2024	<p>आज यह पत्रावली प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता श्री मदन ज्याणी के प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे।</p> <p>वकील प्रार्थी की प्रार्थना पत्र के संबंध में एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अराजीराज भूमि के संबंध में राहत चाही गई है, जो दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">उपखण्ड अधिकारी घड़साना</p>	